

<u>क्र०</u> <u>सं0</u>	<u>सेवाएं</u>	<u>प्रथम</u> <u>अपीलीय</u> <u>अधिकारी</u>	<u>निस्तारण</u> <u>हेतु समय</u> <u>सीमा</u>	<u>द्वितीय</u> <u>अपीलीय</u> <u>प्राधिकारी</u>	<u>द्वितीय</u> <u>अपीलीय</u> <u>अधिकारी</u> <u>के</u> <u>निस्तारण</u> <u>हेतु समय</u> <u>सीमा</u>
1.	एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा / विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस।	मंडलायुक्त	30 दिन	कमिश्नर वाणिज्य कर	30 दिन
2.	एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा / विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी के लाइसेंस का नवीनीकरण।	मंडलायुक्त	30 दिन	कमिश्नर वाणिज्य कर	30 दिन
3.	चैलचित्र डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट।	मंडलायुक्त	30 दिन	कमिश्नर वाणिज्य कर	30 दिन
4.	विभिन्न मनोरंजन के लिये अनुमति (लाइसेंस्ड मनोरंजन, केबिल और डी.टी.एच. को छोड़कर यथा मनोरंजन पार्क/वॉटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पेपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बॉलिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन)	मंडलायुक्त	30 दिन	कमिश्नर वाणिज्य कर	30 दिन